

न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी कपासन  
जिला चित्तौडगढ  
पीठासीन अधिकारी श्री विनोद कुमार (आर0ए0एस0)

प्रकरण संख्या / 124 / 2008

दायर दिनांक 13.05.2008

उनवान		
पन्नलाल	बनाम	रामनाथ

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88-89, 188 आर.टी.एक्ट

निर्णय दिनांक: 13.03.2020

—:निर्णय:—

पतरावली पेश हुई वकिल वादी हाजिर | हाजिर होकर प्रकरण में कार्यवाई नहीं चाहने बाबत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जो स्वीकार किया जाकर पत्रावली में इसी स्तर पर कार्यवाई ड्राप की जाती है। अत -पतरावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम है



(विनोद कुमार)  
उपखण्ड अधिकारी  
कपासन

